13.6.18. पत्रावली पेश हुई पक्षकारान उपस्थित नहीं। तहसीलदार कि. रेनवाल की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं। तहसीलदार कि. रेनवाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को एवं नामान्तकरण सं. 1467 का अवलोकन किया गया प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार कि. रेनवाल को राजस्थान (भू राज.) भू. अभि. नियम 1957 के नियम 122-123 के तहत वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णित त्रुटि नामान्तकरणों के शुद्धि सहित अमल की

Scanned by CamScanner

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		कार्यवाही अपने स्तर से निस्तारित की जानी चाहिए परन्तु ऐसा नही कर इस न्यायालय को भिजवाया गया है। प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि नामान्तरकरण सं. 1467 को दर्ज करने वाला पटवारी एवं उक्त नामान्तरकरण की जांच करने वाला भू. अभि. निरीक्षक द्वारा उक्त नियमों के नियम 120 से 137 तक की पूर्ण पालना नही की गई है। उक्त नियम 131 के प्रावधानों के अनुसार नामान्तरकरण के मामलों में किसी भी खातेदार-सह खातेदारान की हैसियत - हक - हकूक - हिस्सा इत्यादि में परिवर्तन बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के नही किया जा सकता है। जबकि प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित पटवारी एवं भू. अभि. नि. द्वारा लापरवाही पूर्ण तरीके से मृतक का हिस्सा गलत दर्ज कर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध कराया गया है तथा राजस्व रिकार्ड में भी गलत हिस्सा, खातेदारान अंकित किया गया जो दुरस्त किया जाना अपेक्षित है अतः राजस्थान भू राजस्व (भू. अभि.) नियम 1957 के नियम 369 में प्रदत्त शक्तियों एवं तहसीलदार कि रेफरल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत नामान्तरकरण सं. 1467 वाके ग्राम मलिकपुरा की अपील अन्तर्गत मानते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाना का आदेश दिया जाता है। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित पक्षकारान द्वारा यथा मुकेश पु० भूधाराम द्वारा भी प्रा. पत्र प्रस्तुत किया गया है अतः प्रार्थी के प्रा. पत्र एवं

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		तहसीलदार कि. रेनवाल की रिपोर्ट दि. 29.1.18 एवं राजस्व रिकॉर्ड मय नामान्तरकरण सं. 1467 ग्राम मलिकपुरा के अवलोकनोपरान्त पाते हैं कि नामान्तरकरण सं. 1467 में मृतक कुथाराम पु. मोटाराम का राजस्व रिकॉर्ड में वर्णित हिस्सा 1/8 के स्थान पर 1/4 अंकित किया गया जो गलत है। जिसकी वजह से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भी गलत हिस्सा इन्द्राज खातेदारान तथा मृतक वारिसान हुए हैं अतः ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण सं. 1467 वाके ग्राम मलिकपुरा निरस्त किया जाकर तहसीलदार कि. रेनवाल को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृतक कुथाराम पु. मोटाराम के वारिसान की पूर्ण जाँच कर मृतक के हिस्से के तहत वारिसान को प्राप्त हक हिस्सा सही अंकित कर पुनः निर्णय पारित करें तथा तदुपरान्त रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर अलग से नामान्तरकरण दर्ज किए जाने हेतु समुचित आदेश पारित करें। नामान्तरकरण सं. 1467 में हिस्सा गलत अंकन करने वाले पटवारी एवं उक्त नामान्तकरण की जांच करने वाले भू अभि. निरीक्षक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप-पत्र- आरोप विवरण पत्र तैयार कर इस ~~कार्यालय~~ कार्यालय को अलग से भिजवावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार कि. रेनवाल को पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवाई जावें पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील पूर्ण होकर दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) 13/6/18. उप खण्ड अधिकारी सांभर लेक	

Scanned by CamScanner